—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 112/2019

उनवान

1. सीयाराम पुत्र रामरतन
2. सत्यनारायण पुत्र रामरतन
3. मूली देवी पत्नी रामरतन समस्त जाति साधू निवासी ग्राम भटियानी, नसीराबाद

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. सायरी पत्नी रामकरण
2. धरणीधर पुत्र रामकरण
3. द्वारकाप्रसाद पुत्र रामकरण
4. प्रहलाद पुत्र रामकरण
5. रामावतार पुत्र रामकरण समस्त जाति साधू, निवासी ग्राम भटियाणी, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 5 अनुपस्थित, 6 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 14.2.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के हाल खाता संख्या 886/813 किता 22 रकबा 4.46 की आराजी में वादी क पूर्वज रामरतन व प्रतिवादीगण के पूर्वज रामकरण सगे भाई के नाम बाराबर—बराबर हिस्से में दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 223 दिनांक 28.12.86 को वादीगण के पिता रामरतन की मृत्यु के बाद रामरतन के हिस्से पर वादीगण के नाम खातेदारी खातेदारी इन्द्राज की गयी। नामान्तकरण संख्या 549 दिनांक 20.06.1992 को रामकरण की मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज की गयी। खसरा नम्बर 1201 की किस्म गै.मु. श्मशान गलत दर्ज की गयी। हाल जमाबंदी में वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक का बराबर—बराबर हिस्सा अंकित कर दिया। जबकि रामरतन के 3 व रामकरण के 5 वारिस है। वादीगण का हिस्सा आराजी मुतनाजा पर कम दर्ज कर दिया गया। अतः आराजी मुतनाजा पर हिस्सा दुरूस्त किया जावे व खसरा नम्बर 1201 की किस्म गै.मु. श्मशान की जगह चाही दर्ज की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग जमाबंदी की नकल संलग्न नही है। किस्म परिवर्तन किस प्रकार हुआ स्पष्ट नही है। राजहित प्रभावित होने से ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:00 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण दुरूस्ती के अधिकारी है ?

–– वादीगण

2. आया खसरा नम्बर 1201 की किस्म त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण दुरूस्ती के अधिकारी है ?

–– वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व सत्यनारायण का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम भटियानी के हाल खाता संख्या 886/813 किता 22 रकबा 4.46 की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की है। वादीगण के पूर्वज रामरतन व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पूर्वज रामकरण है। हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम आराजी मुतनाजा का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम 5/6 हिस्सा दर्ज हैं। वर्किंग जमाबंदी व चौसाला जमाबंदी में आराजी मुतनाजा रामरतन व रामकरण पि. बनवारीदास के नाम दर्ज थी। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का उक्त आराजी पर 1/2 प्रत्येंक का हिस्सा है। आधार जमाबंदी में उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज नही है। हाल जमाबंदी में हिस्सा त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा का हिस्सा त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

वादीगण का कथन है कि वर्किंग खसरा नम्बर 1256 की किस्म चाही 2 के स्थान पर हाल खसरा नम्बर 1201 की किस्म गै.मु. श्मशान अंकित कर दी जिसे दुरूस्त किया जावे। उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 896 रकबा 1–17–0 है। उक्त आराजी की किस्म मौके पर चाही 2 नही होने के कारण बंदोबस्त विभाग द्वारा मौका अनुसार किस्म अंकित की है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में सत्यनारायण का शपथ पत्र पेश किया है किन्तु सत्यनारायण द्वारा भूमि की किस्म के बारे में कोई कथन अंकित नही किया है। भूमि की किस्म मौका अनुसार ही राजस्व अभिलेख में अंकित है। हाजा न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के भूमि की किस्म परिवर्तन करना न्यायोचित नही है। तनकी संख्या 2 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम भटियानी के हाल खाता संख्या 886/813 किता 22 रकबा 4.46 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। आज्ञा की प्रति नियमानुसार जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सीयाराम बनाम सायरी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 112/2019
पेश करने की दिनांक – 23.09.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भटियानी के हाल खाता संख्या 886/813 किता 22 रकबा 4.46 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:00 IST
Reason: SelfAttested